

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने इन्क्यूबेटरों और उत्प्रेरकों के साथ बैठक की

Posted On: 09 JAN 2017 5:17PM by PIB Delhi

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विभिन्न इन्क्यूबेटरों और उत्प्रेरकों के साथबैठक की, ताकि उनके सुझावों एवं चिंताओं से अवगत होने के साथ-साथ स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र मेंउनके समक्ष मौजुद अहम चुनौतियों का सामना भी क्रिया जा सके।

श्रीमती सीतारमण द्वारा नेपारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न हितधारकों के साथ सार्थक चर्चाएं करने के लिए की गई अपनी पिछलीपहल को जारी रखते हुए यह बैठक की। सटार्टअप की उद्यमिता संबंधी यात्रा के सभी चरणों में उनके विकास को तेज रफ्तार प्रदान करने केलिहाज से इन्क्यूबेटरों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वे मार्गदर्शन के साथ-साथ आवश्यकसहायता प्रदान करते हैं और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वे नवाचार की संस्कृति कोबढ़ावा देते हैं। अत: यह भारत सरकार के लिए आवश्यक है कि वे इन्क्यूबेटरों/ उत्प्ररेकों को समुचितमदद प्रदान करें, जिससे कि वे स्टार्टअप को सही अर्थों में बढ़ावा दे सकें। इससे नौकरी मांगने वालों केबजाय नौकरी सृजित करने वालों के राषट्ट के रूप में भारत को उभरने में मदद मिलेगी। अत: इन्क्यूबेटरों के समक्ष मौजूद चुनौतियों, मसलों और उनकी चिंताओं को दूर करना आवश्यक है। उपर्युक्त चर्चाओं के दौरान विचार-विमर्श के प्रमुख बिंदु एवं पेश किये गये सुझाव निम्नलिखित हैं:

- · इन्क्यूबेटरों, उत्प्रेरकों, सह-कार्य स्थलों और मेंटरों को 'स्टार्टअप बिल्डरों' के रूप मेंमान्यता दें।
- फिलहाल सेवा कर में छूट केवल उन्हीं इन्क्यूबेटरों को दी जा रही है, जिन्हें सरकार सेविधिवत मान्यता प्राप्त है। यह छूट अन्य इन्क्यूबेटरों को भी दी जानी चाहिए।
- 🔾 इन्क्यूबेटरों के यहां पंजीकृत स्टार्टअप का मूल्यांकन कराया जाना चाहिए, जो उन परएक वित्तीय बोझ है। एक तय सीमा से नीचे की श्रेणी में आने वाले स्टार्टअप को इससे छूट दीजा सकती है।
- · इन्क्यूबेटरों के साथ और ज्यादा कॉरपोरेट साझेदारी को सुविधाजनक बनाया जा सकताहै।
- · आयंकर अधिनियम की धारा 35 (2एए) के दायरे में इनक्युबेटरों को भी लाया जा सकताहै।
- राज्य सरकारों और नगरपालिका निकायों से यह आग्रह किया जा सकता है कि वे खरीदमानकों में दी गई ढील का लाभ स्टार्टअप को भी दें।

वीके/आरआरएस/डीके-**85** (Release ID 58002)

(Release ID: 1480322) Visitor Counter: 8









in